



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/47/2019- **815**

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक— **25/10/2024**

विषय—

श्री राजेश सिंह द्वारा गोपालगंज जिलान्तर्गत बिस्वम्भरापुर ग्राम के खाता संख्या— 43, खेसरा संख्या—423/ 529/451, 528/451, 527, थाना संख्या—165, अंचल—मांझा, SH-47 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.01215 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसार—

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/39940/2019/3898, दिनांक 13.04.2020

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 27.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है—

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 13.04.2020 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	Compensatory Afforestation: The State Forest Department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably within or in the surrounding area of the project. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 8,94,632.00 (रु० आठ लाख चौरानवे हजार छः सौ बत्तीस) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506219939940469, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 09.09.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR5202409094 6905339 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

3	NPV:	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.01215 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 11,637/- (ग्यारह हजार छः सौ सैतीस रुपये) मात्र को Account No. 1506219939940469, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 09.09.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52024090946905339 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
(a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.01215 ha forest area diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/ 2002, 01/08/2003, 28/2008, 24/04/2008 and 09.05.2008 in IA No.	
(b)	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	All the funds received from the user agency under the project shall be deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in).	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 09.09.2024 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
5	The FRA certificate as per Ministry's letter No. 11-09/98-FC (pat.) dated 28.10.2014, whose availability could not be ascertained from online application, shall be submitted before the issuance of final approval.	प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 27.09.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है।
6	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per the following norms issued by the Ministry of Road Transport and Highways.....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place for parking, toilets, restaurants, rest rooms shops etc.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	Suitable signs and markings showing the location of the fuel station may be provided without disturbing the road side plantations.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset...	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(d)	Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers, staff	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval.....	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	The diverted forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)		

(b)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The diverted forest land shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उपल्लंघन नहीं किया गया है।
11	Any other conditions that the Ministry of Environment, Forest & Climate change may stipulate from time to time in the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।

साथ ही प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 27.09.2024 द्वारा मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01215 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC/47/2019- 815

दिनांक- 25/10/2024

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान / वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज एवं श्री राजेश सिंह, पिता-स्व. श्री विरेन्द्र सिंह, ग्राम-जलालपुर, पोस्ट-धरमपरसा, जिला-गोपालगंज को सूचना हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Gopalganj/ Gopalganj Forest Division, Gopalganj.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shri Rajesh Singh / BPCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.01215 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	13.04.2020				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	8,94,632.00				
	b. Additional CA	-NA-				
	c. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	11,637.00				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-	SBINR52024090946905339	11,637/-	NPV
		2	challan	dt. 09.09.2024	8,94,632/-	CA
		Total-			9,06,269/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 09.09.2024				
12	Any other remarks					

(Arvinder Singh)

Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 27-09-2024



विषय—

श्री राजेश सिंह द्वारा गोपालगंज जिलान्तर्गत बिस्वम्भरापुर ग्राम के खाता संख्या— 43, खेसरा संख्या—423/ 529/451, 528/451, 527, थाना संख्या—165, अंचल—मांझा, SH-47 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.01215 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग—

भवदीय कार्यालय पत्रांक FC/47/2019-395 दिनांक 21.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/39940/2019/3898, दिनांक 13.04.2020 द्वारा कुल 12 शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,94,632.00 मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219939940469, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 09.09.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52024090946905339 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
- 3.(a) NPV के मद में मेरे द्वारा 0.01215 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 11,637.00 बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219939940469, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 09.09.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52024090946905339 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
- (b) मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, Bengaluru के खाता में दिनांक 09.09.2024 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
5. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

६१

- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 9 (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
10. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
11. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
12. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

साथ ही मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

राजेश सिंह

(राजेश सिंह)

पिता-स्व. श्री विरेन्द्र सिंह,
ग्राम-जलालपुर, पोस्ट-धरमपरसा,
जिला-गोपालगंज।

समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला आपूर्ति शाखा)

FRA- 2006 का प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या 01 / आ0 दिनांक 07-09-2019

प्रमाणित किया जाता है कि गोपालगंज जिले में प्रयोक्ता एजेन्सी श्री राजेश सिंह द्वारा, मौजा-विशम्भरपुर, थाना-मांझा, जिला-गोपालगंज रैखिक परियोजना निर्माण स्थान कुल लम्बाई (कि०मी०)-35 मीटर से परियोजनान्तर्गत वन भूमि की लम्बाई (कि०मी०)-7.5+7.5 मीटर तक कुल कि०मी०-15 मीटर में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.01215 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-803 दिनांक-25.06.2019 द्वारा FRA- 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका -1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक- 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गावों में वर्ष- 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।



जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।
(बिहार)

मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(E-mail:- cernb@gmail.com, Mob. No.-9470001351)

37

पत्रांक :- प्र०-23/उ०बि०(या०) आउटलेट-31-37/2019

दिनांक :-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता, उत्तर

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,

सारण पथ अंचल, हाजीपुर।

विषय:-

पथ प्रमंडल, गोपालगंज अन्तर्गत मौजा-विशम्भरपुर, थाना-मांझागढ़, थाना नं०-165, खाता नं०-45, खेसरा नं०-423/529, 451/528, 451/527, जिला-गोपालगंज में BPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

- (i) आपका पत्रांक-768 (अनु०), दिनांक-27.07.2024
- (ii) विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1921 (S) दिनांक-08.03.2018
- (iii) विभागीय पत्रांक-80 (E), दिनांक-04.01.2024

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में पथ प्रमंडल, गोपालगंज अन्तर्गत मौजा-विशम्भरपुर, थाना-मांझागढ़, थाना नं०-165, खाता नं०-45, खेसरा नं०-423/529, 451/528, 451/527, जिला-गोपालगंज में BPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक-80 (ई०) दिनांक-04.01.2024) तथा संकल्प ज्ञापांक-1921(S), दिनांक-08.03.2018 के आलोक में प्रदान की जाती है। उक्त अनापत्ति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न चेकलिस्ट में अंकित विवरणी के आधार पर दी जा रही है। कृपया अपने स्तर से प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल का पुनः निरीक्षण कर चेकलिस्ट में अंकित विवरणी से संतुष्ट होकर ही अग्रेतर कार्रवाई की जाय। यदि भविष्य में इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो कार्यपालक अभियंता इसके लिए जिम्मेवार होंगे:-

1. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है तो यह औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1921 (S) दिनांक-08.03.2018 की कड़िका-6 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित Renewal Fee जमा कराते हुए नवीकरण की जाएगी।
4. MoRTH, IRC एवं विभागीय रिटेल आउटलेट से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।
5. समर्पित चेकलिस्ट के आधार पर औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि चेकलिस्ट में दर्ज सूचनाओं से स्वयं भी संतुष्ट हो कर कार्रवाई करेंगे।
6. Acceleration Lane एवं Deceleration Lane का प्रावधान ड्राईंग में करते हुए इस कार्यालय को सूचित करेंगे एवं तदनुसार Field Execution सुनिश्चित करेंगे।

अनु०:-नक्शा की एक प्रति (मूल में)।

विश्वासभाजन

ह०/-

15/4

दिनांक :-

27/8/2024

मुख्य अभियंता, उत्तर

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज/Territory Manager (Retail) Muzaffarpur, Bharat Petroleum Corporation Limited., Village- Sherpur, Near Narayanpur Anant Rly Station on N.H-28, P.O- MIT Bela, Muzaffarpur-842005/, Shri-Rajesh Singh, S/o- Late Shri Virender Singh Village-Jalalpur, Post-Dharamparsa, PS-Manjha Garh, Dist-Gopalganj, Bihar, Pin-841427, को सूचनार्थ ए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता, उत्तर

NOC retail outlets

UTR-SBINRS2024090946905339

AGENCY COPY

यूनियन बैंक
ऑफ इंडियाUnion Bank
of Indiaआन्ध्र
Andhraवन विभाग
Forest Department

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-09-2024

Agency Name.	RAJESH SINGH GOPALGANJ
Application No.	19939940469
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/39940/2019
Location.	BIHAR
Address.	S/o-Late Shri Virendra Singh, Village-Jalalpur, Post-Dharamparsa, Dist.- GopalganjGopalganj
Amount(in Rs)	906269/-

Amount in Words :Nine Lakh Six Thousand Two Hundred and Sixty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506219939940469 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through ch even after 7 working days, then kindly mail a copy of id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ubin0903710@unionbankofindia.bank

